

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 119/2010

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2010/00072

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
धर्माराम पुत्र बनाराम उर्फ वेहनाराम जाति जाट निवासी लापुन्दडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर नवसृजित जिला बालोतरा		1.मलाराम पुत्र नाथुराम जाति कुम्हार निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा के कायम मुकाम 1/1. घेवरचंद पुत्र मलाराम 1/2. भीमाराम पुत्र मलाराम जाति कुम्हार निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 3.जमाल खां पुत्र फतेह मोहम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी बालोतरा व तहसील पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

- 1.श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता वादी
- 2.श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 01/1 से 1/2 व प्रतिवादी संख्या. 03
- 3.प्रतिवादी संख्या 02 एकतरफा



निर्णय

दिनांक 11-7-2024

1. संक्षिप्त में वाद-पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेड तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 285/677 रकबा 10-00 बीघा,जिसके वर्तमान खसरा संख्या 677/285 रकबा 10-00 बीघा भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जा-काश्तशुदा अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा तत्कालीन वादग्रस्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01(मलाराम) से जरिए रजिस्ट्री दिनांक 08.01.1979 को खरीद की थी। वक्त खरीद वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था, जो आदिनांक वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है। हल्का पटवारी खेड़ द्वारा वादी के पक्ष में रजिस्ट्री बेचान-पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नामान्तकरण नहीं भरा गया, जिसके कारण वादी का नाम बतौर खातेदार राजस्व-रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। वादी के द्वारा दिनांक 11.06.2009 को प्रतिवादी संख्या 01 (मलाराम) को वादी के नाम नामान्तकरण भराने हेतु तहसीलदार पचपदरा को लिखकर देने को कहे जाने पर उस द्वारा मना किया तथा प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान ने भी ऐसा ही किया। साथ ही वादी को वादग्रस्त भूमि के बेदखल करने की धमकियां दी गईं। इस कारण वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का वाद-पत्र पेश किया। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी घोषित की जाकर प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डाबी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 03 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से जरिए अधिवक्ता वादी के वाद-पत्र तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जा-काशत भूमि नहीं हैं, क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मलाराम के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 01 मलाराम को खातेदारी अधिकार नामान्तकरण संख्या 751/27.01.1983 के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार दिनांक 07.01.1979 को बेचान अपने आप में अवैध एवं निष्प्रभावी हैं, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा बेचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रतिवादी संख्या 01 (मलाराम) के फोट होने पर खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 01/1 से 1/2 को प्राप्त हुए। उक्त रिकॉर्ड खातेदार से प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा दिनांक 23.07.2010 को बेचान-पत्र के जरिए वादग्रस्त भूमि क्रय की गई। उक्त खरीद से आदिनांक प्रतिवादी संख्या 03 का मौके पर कब्जा काशत चला आ रहा है। अतः वादी का वाद-पत्र विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 03 के मय खर्चो खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 03 को वादी से विशेष हर्जाना रूपये 10000/- दिलवाए जावे।



4. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवादक विरचित किए गए:-

तनकी संख्या 1-आया वादी खेत खसरा संख्या 285/677 वर्तमान खसरा संख्या 677/285 रकबा 10 बीघा सरहद मौजा खेड़ का हैं, जो प्रतिवादी संख्या 01 से जरीए रजिस्ट्री बेचान दिनांक 08.01.1979 को खरीद किया, जिससे खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे-वादी)

तनकी संख्या 2- आया वादी खेत खसरा संख्या 677/285 रकबा 10 बीघा में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे-वादी)

राज्यपालक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 03—आया प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 08.01.1979 का बेचान बतौर गैर खातेदारी वादी के पक्ष में करने से बेचानानामा अवैध शून्य व निष्प्रभावी है ?

(जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 03)

तनकी संख्या 04—आया प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया बेचानानामा दिनांक 23.07.2010 के जरिए वादग्रस्त भूमि में काबिज काश्त खातेदार होने से वादी उनके विरुद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है ?

(जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 03)

तनकी संख्या 5— अन्य दादरसी: ?

5. वादी की ओर से वाद-पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में PW-01 धर्मराम, PW-02 खूमराम व PW-03 विशनसिंह के सशपथ बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादी की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श-01 वादग्रस्त भूमि मलाराम पुत्र नाथुराम से जरिए रजिस्ट्री खरीद की प्रति, प्रदर्श-02 वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस प्रति एवं प्रदर्श-3 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रति प्रदर्शित करवाए गए।
6. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW-01 जमाल खां व DW-02 गुल मोहम्मद के बयानात लेखबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-A1 जमालखां द्वारा खरीद भूमि रजिस्ट्री प्रति, प्रदर्श A2 नक्शा ट्रेस प्रति एवं प्रदर्श A3 व A4 जमाबंदी प्रति प्रदर्शित करवाए गए।
7. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वक्त बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी की खातेदारी व कब्जा-काश्तशुदा खेत खसरा संख्या 285/677 वर्तमान खसरा संख्या 677/285 रकबा 10 बीघा भूमि अवस्थित हैं। वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 (मलाराम) से जरिए बेचानपत्र दिनांक 08.01.1979 को खरीद की थी। वक्त खरीद वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया। वादी का वक्त खरीद से आदिनाक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी के पक्ष में बेचान-पत्र के आधार पर नामान्तकरण पारित नहीं किया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को वादी के पक्ष में नामान्तकरण भरवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार पचपदरा को लिखकर देने को कहा गया, तो प्रतिवादी संख्या 01 ने मना कर दिया तथा कहा कि वादी को कब्जा नहीं करने देगे एवं विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकिया दी गई, जबकि वादी बतौर वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर काबिज हैं। राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी पक्ष बेदखल करने पर उतारू हैं, जबकि प्रतिवादी पक्ष ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं रखते हैं। प्रतिवादी मलाराम के फौत होने पर उनके वारिसान् के नाम गलत नामान्तकरण भरा गया। उक्त अवैध नामान्तकरण के आधार पर बोकस बेचान प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में हुआ। उक्त बोकस बेचान-पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 वादग्रस्त भूमि में दखलदान्जी करने पर उतारू हैं। ऐसा करने का प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार नहीं है, जबकि वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा दिनांक 08.01.1979 को जरिए रजिस्ट्री विक्रय-पत्र के



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खरीद की गई थी। विगत 45 वर्षों से वादी का मौके पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी के पक्ष में विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तकरण पारित नहीं होने के कारण प्रतिवादी वादी को बेमतलब परेशान कर रहे हैं, जबकि विक्रय-पत्र व वादी पक्ष गवाहान की साक्ष्य से साबित है कि वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम खेड़ की खसरा संख्या 677/285 रकबा 10 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी इत्यादि नहीं करें। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस तथा वाद-पत्र के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किए:-

(i) RRT 2021(2) पृष्ठ 1128

(ii) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बजरंग बनाम कालुराम वगैरा निर्णय दिनांक 23.09.1998

(iii) कल्याण सहाय और अन्य ग्यारसा वगैरा निर्णय दिनांक 20.8.1998

(iv) 2013(01) RLW(RJ)27 supreme (RAJ) 49

(v) RBJ (22) 2015 राजी बनाम कमला वगैरा पृष्ठ 365

8. प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी का वाद-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य हैं, क्योंकि वादग्रस्त भूमि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 285/677 वर्तमान खसरा संख्या 677/285 रकबा 10 बीघा भूमि मलाराम के नाम बतौर खातेदारी दर्ज नहीं थी, बल्कि गैर खातेदार के रूप में मलाराम के नाम दर्ज थी। मलाराम को खातेदारी अधिकार नामान्तकरण संख्या 751/27.01.1983 को प्राप्त हुए थे। जिससे दिनांक 08.01.1979 को मलाराम को उक्त भूमि बेचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। मलाराम के द्वारा वादी के हक में दिया गया बेंचान अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा-काश्त नहीं है। केवलमात्र बोकस दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मलाराम के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण पारित हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा जरिए रजिस्ट्रर्ड बेचान-पत्र वादग्रस्त भूमि को दिनांक 23.07.2010 को क्रय कर वक्त खरीद कब्जा प्राप्त किया तथा प्रतिवादी का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी बेचान-पत्र के आधार पर आये दिन प्रतिवादी के कब्जा-काश्त में दखलदान्जी करने की कोशिश की जा रही है। वादी द्वारा नाजायज तरीके से प्रतिवादी को परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर वाद लाया गया है, जबकि प्रतिवादी के बयानात् से भी साबित है कि विवादित भूमि की किस्म गैर खातेदार में दर्ज होने के उपरान्त भी अवैध बेचान मलाराम द्वारा किया गया। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा मलाराम के विधिक वारिसान् जो वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार के जरिए रजिस्ट्री बेचान-पत्र के भूमि खरीद कर वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर काबिज होकर आ रहे हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद झूठे तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय हर्जे खर्चे खरिज किया जावे।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रकरण में वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में मुख्य अनुतोष चाहा गया कि वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार मलाराम से वादी द्वारा दिनांक 08.01.1979 को जरीए विक्रय-पत्र भूमि क्रय की गई, लेकिन विक्रय-पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरण नहीं करा गया। तत्पश्चात् मलाराम के फोट होने पर उनके वारिसान् के द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को किया गया बेचान पश्चात्वर्ती श्रेणी में आने के कारण पश्चात्वर्ती विक्रय-पत्र अवैध व शून्य हैं, उन्हें विक्रय-पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। इस कारण प्रथम बेचान दिनांक 08.01.1979 के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदार घोषित की जावें। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी का मुख्य अनुतोष है कि वादग्रस्त भूमि मलाराम के नाम किस्म गैर खातेदार में इन्द्राज थी और वक्त बेचान दिनांक 08.01.1979 को मलाराम गैर खातेदार होने के कारण वादग्रस्त भूमि को बेचान करने का हक नहीं रखता था। उसके उपरांत भी उक्त बेचान अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में आने के कारण बेचान दिनांक 23.07.2010 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को भूमि प्राप्त हुए है। इस कारण वादी का वाद खारिज किया जावें।

10. प्रकरण के विद्यमान कानून एवं प्रावधानों के दृष्टिगत विवेचन हेतु हम यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं:-

धारा 14. आसामियों की श्रेणियां:- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आसामियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी अर्थात् :-

(क) खातेदार आसामी,

²[(कक) मालिक, और

(ख) खुदकाश्त के आसामी, और

(ग) गैर-खातेदार आसामी।

धारा 15. खातेदार आसामी-(1) धारा 16 तथा धारा 180 की उपधारा(1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाये अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन आफ जागीर्स एक्ट, 1952 (राज. एक्ट 6 सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित करता है, खातेदारी आसामी होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतर

द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधिन रहेगा, परन्तु कोई खातेदारी अधिकार इस धारा के अन्तर्गत ऐसे किसी आसामी को अर्जित नहीं होंगे जिसे गंग कनाल, भाकरा, चम्बल अथवा जवाई प्रोजेक्ट क्षेत्र या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में अस्थायी तौर पर भूमि पट्टे पर दी जाये या दे दी गई है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए, तदन्तर्गत खातेदारी अधिकार ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत नहीं होंगे जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' को अग्रसर करते हुए या किसी विशेष आदेश के अन्तर्गत, या किन्हीं निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, या किन्हीं वैधानिक या गैर वैधानिक नियमों के अनुसरण में भूमि किराये पर दी गई थी और जिसने, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, उक्त आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति में भूल की हो अथवा उक्त किसी आदेश, शर्त या नियम को भंग किया हों।

(3) उपधारा (2) में उल्लेखित कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन वर्ष के अन्दर और पचास पैसा न्यायालय शुल्क भुगतान करने पर, अधिकारिता रखने वाले सहायक कलेक्टर को यह घोषणा की जाने की प्रार्थना करते हुए आवेदन कर सकेगा कि उसने अपने द्वारा संघृत भूमि में उपधारा (1) के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये हैं।

(4) उक्त आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात्:-

(क) कि उसके द्वारा संघृत भूमि उसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किराये पर दी गई थी,

(ख) कि उक्त भूमि उसे उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के आधार पर नहीं दी गई थी,

(ग) कि उक्त भूमि जब उसे किराये पर दी गई थी, तब उसे इन परिस्थितियों से अवगत नहीं कराया गया था,

(घ) कि उसने, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, कोई भूल या भंग इस प्रकार की जैसी की उपधारा (2) में निर्दिष्ट हैं, नहीं की थी।

(5) सहायक कलेक्टर, उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाने पर, विहित रीति से जांच करेगा और आवेदक को सुनवाई का युक्तिसंगत असर प्रदान करेगा तथा यदि इस आवेदन-पत्र को अस्वीकार नहीं करता है तो यह घोषणा करेगा कि आवेदक अपनी भूमि का, उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा उनके अधीन रहते हुए, खातेदार आसामी हो गया है।

धारा 38. आसामियों को हित - आसामी का अपने भूमि क्षेत्र में हित सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में विहित है, दाय-योग्य (विरासतीय) है किन्तु अन्तरणीय नहीं है।

धारा 41. खातेदार के हित की अन्तरणीय - धारा 42 तथा धारा 43 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन खातेदार आसामी का हित, उप पट्टे से भिन्न अन्य रीति से अन्तरणीय होगा।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त वर्णित प्राक्धानों से स्पष्ट है कि जोत के अन्तरण का अधिकार केवल खातेदार अभिधारी को प्राप्त है, चूंकि धारा 41 सपठित धारा 42 ता 45 के प्राक्धान कठोर एवं आज्ञापक है, अतः अन्तरणीयता का परिक्षेत्र उक्त धाराओं के अधीन खातेदार अभिधारी तक सीमित है।

11. उक्तानुसार परस्पर विपरीत अनुतोष के दृष्टिगत न्यायालय के सम्मक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1-आया वादी खेत खसरा संख्या 285/677 वर्तमान खसरा संख्या 677/285 रकबा 10 बीघा सरहद मौजा खेड़ का है, जो प्रतिवादी संख्या 01 से जरीए रजिस्ट्री बेचान दिनांक 08.01.1979 को खरीद किया, जिससे खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे-वादी)

इस विवादक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में PW-01 धर्माराम, PW-02 खूमाराम व PW-03 विशानसिंह के बयानात करवाए गए तथा प्रदर्श-1 से प्रदर्श-3 दस्तोवज प्रदर्शित करवाए गए। पत्रावली के संलग्न प्रदर्श A1 बेचान-पत्र दिनांक 08.01.1979 अनुसार वादग्रस्त भूमि मलाराम से वादी द्वारा जरिए रजिस्ट्री क्रय की गई। जबकि पत्रावली के संलग्न जमाबंदी 2035-2038 खाता संख्या 485 वादग्रस्त खसरा संख्या 285/677 रकबा 10 बीघा मलाराम पुत्र नाथुराम कौम कुम्हार साकिन बालोतरा गैर खातेदार इन्द्राज हैं तथा उसी जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 751/27.01.1983 के द्वारा खातेदार अधिकार प्रदान किए जाने का अंकन है। इससे स्पष्ट है कि मलाराम को खातेदारी अधिकार वर्ष 1983 में प्राप्त हुए थे तथा मलाराम द्वारा वादी के पक्ष में बेचान दिनांक 08.01.1979 को किया था, तब मलाराम के पास खातेदारी अधिकार प्राप्त भी नहीं थे। गैर खातेदार भूमि को बेचान करने का अधिकार नहीं रखता है। इसके उपरान्त भी मलाराम द्वारा वादी के पक्ष में कराया गया बेचान प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में आता है। ऐसे बेचान-पत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वादी पक्ष अपनी ओर से बयानात गवाहान् एवं दस्तावेज साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाया कि वक्त खरीद वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी मलाराम की खातेदारी हों, जबकि इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है कि वक्त बेचान के समय भूमि मलाराम के खाते में गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज थी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तनकी वादी अपने हक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः उक्त तनकी वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2- आया वादी खेत खसरा संख्या 677/285 रकबा 10 बीघा में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे-वादी)

इस विवादक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। चूंकि तनकी संख्या 01 वादी साबित करने में असफल रहा है। ऐसी सूरत में उक्त तनकी पर विस्तृत विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हकदार नहीं हैं, तो स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति नहीं कर सकता है। ऐसी सूरत में उक्त तनकी भी वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती हैं।

तनकी संख्या 03—आया प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 08.01.1979 का बेचान बतौर गैर खातेदारी वादी के पक्ष में करने से बेचानानामा अवैध शून्य व निष्प्रभावी है ?

(जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 03)

इस विवादक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया है। चूंकि उक्त तनकी का विस्तृत विवेचन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तनकी संख्या 01 में इसका विस्तृत विवेचन करते हुए निष्कर्ष कर दिया गया है तथा यह भली भांति साबित हो चुका है कि दिनांक 08.01.1979 का बेचान अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आता है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि में मलाराम की गैर खातेदारी काश्तकार के रूप में इन्द्राज था तथा गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्राप्ति के बिना भूमि बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी सूरत में ऐसा किया गया बेचान—पत्र दिनांक 08.01.1979 अपने आप में ही प्रारम्भतः अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आता है। इस कारण बेचान दिनांक 23.07.2010 पश्चातवर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। पश्चातवर्ती श्रेणी में नहीं आने के कारण ही प्रतिवादी संख्या 03 के वादग्रस्त भूमि में स्वत्व व खातेदारी अधिकार बनते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरांत तनकी संख्या 03 प्रतिवादी साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 04—आया प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया बेचाननामा दिनांक 23.07.2010 के जरिए वादग्रस्त भूमि में काबिज काश्त खातेदार होने से वादी उनके विरुद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है ?

(जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 03)

इस विवादक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया है। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान् में DW.01 जमालखां व DW.02 गुलमोहम्मद के बयानात कलमबद्ध करवाए तथा प्रदर्श—A1 से प्रदर्श A3 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। वादग्रस्त भूमि के खातेदार मलाराम के फोट होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम फोटदगी नामान्तकरण संख्या 2111 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। जो प्रदर्श—A03 अवलोकन के स्पष्ट हैं तथा प्रदर्श—A01 अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार घेवरचंद वगैरा द्वारा भूमि आगे प्रतिवादी संख्या 03 (जमाल खां) को जरिए रजिस्ट्री बेचान दिनांक 28.07.2010 को की गई। प्रतिवादी पक्ष अपने दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि को उन द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए क्रय की गई है तथा इससे पूर्व बेचान दिनांक 08.01.1979 शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। जिसका तनकी संख्या 01 में विस्तृत विवेचन कर रखा है। इस प्रकार वकील वादी का यह तर्क की प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में हो रखा बेचान पश्चातवर्ती श्रेणी में होने के कारण अवैध हैं, जो कि तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि बेचान दिनांक 08.01.1979 अपने आप में अवैध व शून्य निष्प्रभावी की श्रेणी में आता है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि मलाराम के गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज थी। उसके उपरांत भी बेचान किया जाना अपने



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

-आप में गैर कानूनी है। ऐसे बेचान-पत्र का कोई अस्तित्व नहीं बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में बेचान-पत्र पश्चातवर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन उपरांत तनकी संख्या 04 प्रतिवादी साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5- अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाम प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

जहां तक वादी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2021(2) पृष्ठ 1128, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बजरंग बनाम कालुराम वगैरा निर्णय दिनांक 23.09.1998, कल्याण सहाय और अन्य ग्यारसा वगैरा निर्णय दिनांक 20.8.1998 व 2013(01)RLW(RJ)27 supreme (RAJ) 49 एवं RBJ (22) 2015 राजी बनाम कमला वगैरा पृष्ठ 365 का प्रश्न है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित है कि पश्चातवर्ती विक्रय-पत्र अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आते हैं, जो कि हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर चर्या नहीं होते हैं। हस्तगत प्रकरण में बेचान-पत्र दिनांक 08.01.1979 अपने आप में ही प्रारम्भतः अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आता है, क्योंकि गैर खातेदार मलाराम को तत्समय वादग्रस्त भूमि को बेचान करने का विधिक अधिकार ही प्राप्त नहीं था। इस कारण बेचान-पत्र दिनांक 23.7.2010 पश्चातवर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। पश्चातवर्ती श्रेणी में नहीं आने के कारण ही प्रतिवादी संख्या 03 (जमालखा) के वादग्रस्त भूमि में स्वत्व व खातेदारी अधिकार बनते हैं।

अनुतोष:- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी वाद-पत्र में तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है तथा प्रतिवादी अपने पक्ष में कायम तनकी संख्या 03 व 04 को साबित करने में सफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादी वाद-पत्र में कायम तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हों।



(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

डिक्री-पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

119/2010

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2010/00072

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

धर्माराम पुत्र वनाराम उर्फ वेहनाराम

जाति जाट

निवासी लापुन्दडा

तहसील बायतु जिला बाड़मेर नवसृजित

जिला बालोतरा

1.मलाराम पुत्र नाथुराम जाति कुम्हार

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा के कायम मुकाम

1/1. घेवरचंद पुत्र मलाराम

1/2. भीमाराम पुत्र मलाराम जाति कुम्हार

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

3.जमाल खां पुत्र फतेह मोहम्मद

जाति तेली मुसलमान निवासी बालोतरा व तहसील पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:-88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 119/2020

निर्णय दिनांक :- 11.07.2024

वादी की ओर से श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 व प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 11.7.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी वाद-पत्र में कायम तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 11.7.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा



वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामिल	-----
6.कमिश्नर की फीस	-	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	-	जोड़	-----



सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा